

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर

—:: कार्यालय आदेश ::—

राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1996 के नियम 50(1) के अंतर्गत श्रीमती मंजूला झा व्याख्याता (जीव विज्ञान) राआउमावि भादला पांचू बीकानेर जिनकी जन्मतिथि 23.09.60 है। इन्होंने नोटिस प्रस्तुत कर दिनांक 15.07.19 से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति चाही है।

श्रीमती मंजूला झा व्याख्याता (जीव विज्ञान) द्वारा 15 वर्ष की अर्हकारी सेवाएं एवं 45 वर्ष की आयु दोनो शर्तें पूर्ण करते हैं। अतः राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1996 के नियम 50(1) के प्रावधानान्तर्गत दिनांक 15.07.19 से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्वीकृति एतद्द्वारा प्रदान की जाती है।

यह प्रमाणित किया जाता है कि उपर नामित श्रीमती मंजूला झा, के विरुद्ध आज तक:—

01. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
02. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
03. कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन/लम्बित नहीं है।




(नथमल डिडेल)

आई.ए.एस.

निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक : शिविरा/मा/संस्था/सी-4/रजीगृ/15601/स्वै.से.नि./16 दिनांक 18/4/19

1. संबंधित संयुक्त निदेशक, पेंशन विभाग राजस्थान, बीकानेर
2. उपनिदेशक राज्य बीमा एवं प्रावधानी निधि विभाग, बीकानेर
3. संबंधित संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा, भरतपुर
4. संबंधित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी स्कूल शिक्षा, सवाईमाधोपुर
5. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (मा) मुख्यालय, सवाईमाधोपुर
6. संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, सवाईमाधोपुर
7. प्रधानाचार्य राआउमावि भादला (पांचू) बीकानेर
8. संबंधित कार्मिक श्रीमती मंजूला झा व्या. जीव विज्ञान राआउमावि भादला पांचू बीकानेर
9. सिस्टम एनेलेसिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग, कार्यालय हाजा
10. निजी/रक्षित पत्रावली



1 संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर